24

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04/LWE–3/2018– 143 /यो0वि0,पटना, दिनाक 20 मार्च, 2019

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषयः **अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिलो को 13.33 करोड़ (तेरह करोड़ तेतीस लाख) रूपये प्रति जिला की दर से कुल 53.33 करोड़ (तिरपन करोड़ तेतीस लाख) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति।**

महाशय,

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No-18015/38/2017-LWE-I दिनाक 08 05 2018 द्वारा अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत संशोधित मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गयी है। वामपंथ उग्रवाद के विरूद्ध सामाजिक आधारभूत संरचना एवं सेवाओं की कमी की पूर्ति हेतु अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलो के लिए "विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA)" के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018–19 एव 2019–20 में बिहार राज्य अंतर्गत 4 जिलों यथा औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय का चयन किया गया है। उपर्युक्त आच्छादित चार जिलो को प्रति वर्ष प्रति जिला 33.33 करोड रूपये की दर से राशि दो किस्तो में उपलब्ध करायी जानी है।

2. इस योजना के तहत आच्छादित जिलो में आवटित होनेवाली राशि के उपयोग हेतु कार्य योजना बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति (DLC) का गठन किया गया है। जिला स्तर पर Security, Development, Ensuring rights & Entitlements of Tribals/Local Communities and Perception Management से संबंधित योजनाओं का चयन करना, स्वीकृति प्रदान कर क्रियान्वयन कराना तथा अनुश्रवण एवं गुणवत्ता की जिम्मेवारी जिला स्तरीय समिति की होगी।

3. इसी प्रकार, राज्य स्तर पर विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय कमिटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रधान मुख्य वनसंरक्षक/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग एव पुलिस महानिदेशक सदस्य हैं।

4. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.–18015/51/2018–LWE-III दिनांक 25.02.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में द्वितीय किस्त के रूप में औरगाबाद, गया, जमुई एव लखीसराय जिले के लिए प्रति जिला 13 33 करोड (तेरह करोड तेतीस लाख) रूपये की दर से कुल 53 33 करोड (तिरपन करोड तेतीस लाख) रूपये विमुक्त की गई है।

5. वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अत्यधिक वामपथ उग्रवाद प्रभावित जिलो के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत कुल 163.32 (एक अरब तिरसठ करोड बत्तीस लाख) करोड रूपये का बजट उपबंध प्रथम अनुपूरक के माध्यम से स्वीकृत है।

6. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष–4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लधु शीर्ष–102–सामुदायिक विकास, उप शीर्ष–0203–एल0डब्लू0ई0 जिलों के लिए ए0सी0ए0, मॉग सं0.–35, विपत्र कोड –35–4515001020203 के अंतर्गत विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रति जिला **13.33 करोड़ (तेरह करोड़ तेतीस लाख) रूपये** की दर से औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को कुल **53.33 करोड़ (तिरपन करोड़ तेतीस लाख) रूपये** मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उपर्यक्त राशि का आहरण बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष –4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–सामुदायिक विकास, उप शीर्ष–0203–एल0डब्लू0ई0 जिलो के लिए ए0सी0ए0, माँग स0–35, विपत्र कोड–35–4515001020203 के अंतर्गत विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण कार्य से की जाएगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होगे।

9. संबंधित जिला पदाधिकारी कोषागार से एकमुश्त राशि की निकासी कर राष्ट्रीयकृत बैक मे अपने पदनाम से बचत खाता खोलकर उस राशि को रखेंगे। जिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि के लिए खाता संधारण हेतु जिम्मेवार होंगे एवं उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आवटित राशि के लिए अलग से खाता संधारण किया जाय।

10. प्रस्ताव पर दिनांक 26.06.2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–15 पर स्वीकृति प्राप्त है।

11. इस राशि का व्यय वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 दिनांक 17.04 1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.18015/03/2018-LWE-1 दिनांक 27 06.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत निदेश एवं शर्त्तो के आलोक में की जाएगी।

12 जिलो को आवटित राशि के विरूद्ध अर्जित सूद की राशि परियोजना/कार्यो पर व्यय नही कर राशि को भारत सरकार के संचित निधि GFR 230 (8) के तहत जमा किया जायेगा।

13. विमुक्त की जा रही राशि का उपयोग किसी नयी योजना की स्वीकृति के लिए नहीं किया जायेगा तथा इस राशि का उपयोग पूर्व से चल रही (Ongoing) योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु तथा पूर्ण की गयी योजनाओं के दायित्व सबंधी राशि के भुगतान के लिए किया जाएगा।

14 उक्त राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी की स्वीकृति पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

15. प्रस्ताव पर संचिका सख्या यो04/LWE-3/2018 के टिप्पणी पृष्ठ 30/पृ0 पर आतरिक/सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/03

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक. यो04/LWE–3/2018– 143 /यो0वि0,पटना, दिनांक 20 मार्च, 2019
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो04/LWE–3/2018– 143 /यो0वि0,पटना, दिनांक 20 मार्च, 2019
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाकः यो04/LWE–3/2018– 143 /यो0वि0,पटना, दिनांक 20 मार्च, 2019
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक. यो04/LWE–3/2018– 143 /यो0वि0,पटना, दिनांक 20 मार्च, 2019
प्रतिलिपि विभागीय लेखा एवं बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03

सरकार के अपर सचिव